

भिन्न प्रकार की क्षमताओं वाले बच्चों को शामिल करना

रेमादेवी

एक ऐसे समाज में, जो अक्षमता को वर्तमान के या अतीत के पापों के लिए दिया गया दण्ड मानकर उसे "आस्था" का आयाम दे देता है, अक्षमता ग्रस्त लोगों का समावेश एक लम्बी प्रक्रिया है। आमतौर पर अक्षमता ग्रस्त लोगों के अधिकार के दृष्टिकोण के बजाय उनके प्रति सहानुभूति का भाव हावी रहता है। प्राथमिकता मुख्य रूप से, या केवल उनकी देखरेख, चिकित्सा और पुनर्वास (पुनर्वास ज्यादातर उनको किसी ऐसे संस्थान में भर्ती करने तक सीमित रहता है जो परोपकारी आधारों पर उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है) को दी जाती है, और अक्षमता को व्यक्तियों तथा उनके परिवारों की समस्या के रूप में देखा जाता है।

> "मैंने अपने बेटे को जो दुःख दिया है उसके लिए मैं कभी अपने को माफ नहीं कर सकती। जब मुझसे अपने चाचा की अन्त्येष्टि में शामिल न होने के लिए कहा गया तो मैंने क्यों उसकी अवहेलना की? मेरा बच्चा कष्ट उठा रहा है क्योंकि मैंने अपनी अवज्ञा के द्वारा उसे अपाहिज बना दिया।" – एक स्नातक माँ

हालाँकि संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा, जिसने शिक्षा को सभी बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया है, भारत सभी के लिए शिक्षा के हेतु प्रतिबद्ध है, परन्तु फिर भी सरकारी तथा निजी, दोनों प्रकार की संस्थाओं में इसके अर्थ, प्रासंगिकता और स्पष्ट परिभाषा के बारे में साफ समझ का अभाव है।

भारत में वर्ग, लिंगभेद, धर्म, रंग आदि की तुलना में अक्षमता को सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है। केवल 5% से भी कम अक्षमता ग्रस्त बच्चों ने स्कूलों में दाखिला लिया है (यूनेस्को 2000), और जैसा कि 2004 में किए गए एक सरकारी अध्ययन में उल्लेख किया गया है, केवल 0.51% अक्षमता ग्रस्त बच्चों का मुख्यधारा की शैक्षिक संस्थाओं में स्कूल स्तर पर नामांकन हुआ है (यूनेस्को 2006)। कई अन्य देशों में भी स्थिति इससे बहुत भिन्न नहीं है।

अक्षमता ग्रस्त लोगों के जीविकोपार्जन तथा अन्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल किए जाने के बारे में ज्यादा जानकारी और आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

इस लेख में की गई चर्चा में वे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं जिन पर विचार करना समावेश के लिए जरूरी है, अर्थात समावेश के मुद्दे का किस प्रकार समाधान किया जाए और उसमें निहित चुनौतियाँ क्या हैं।

समावेश की ओर

यह जरूरी है कि अक्षमता ग्रस्त लोगों के समावेश का मतलब, उनका परिवार में, समुदाय/समाज में, शैक्षिक संस्थाओं में, कार्य में तथा अन्य स्थानों पर भी समावेश होना चाहिए, और उसमें क्षमताओं से सम्बन्धित व्यक्तिगत तथा लिंग–सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने के लिए रणनीतियाँ भी होना चाहिए।

व्यक्तिगत

अक्षमता के कारण स्वतः ही आत्मविश्वास का अभाव हो जाता है, और यह प्रयोग करने के तथा छानबीन करने के अवसरों तक, अपने हमउम्र अन्य बच्चों की तुलना में, ऐसे बच्चों की पहुँच को सीमित कर देती है। उनकी अन्तर्निहित क्षमताओं को यथार्थ में साकार करने के लिए उन्हें अपने हमउम्र साथियों तथा वयस्क लोगों, दोनों के द्वारा अपेक्षित प्रेरक प्रोत्साहन भी नहीं मिलता। मजबूरी के कारण दूसरों पर निर्भरता की जिस स्थिति में वे फँसे रहते हैं और उसकी वजह से जिस भेदभाव का अनुभव करते हैं, उसके परिणामस्वरूप उनको किसी काबिल न होने के भाव, हताशा, शर्मिन्दगी, आदि का एहसास होता है जो उनके व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास को प्रभावित करता है।

लिंगभेद सम्बन्धी प्रभाव

"सामान्य" दुनिया से उन्हें जो नकारात्मक प्रतिक्रियाएँ मिलती हैं, उनके फलस्वरूप उनमें, विशेष रूप से लड़कियों में, मुझसे "दूर रहो" वाला एक रवैया, एक प्रकार का आत्म–बहिष्कार, पैदा हो जाता है। एक अक्षमता ग्रस्त लड़की आमतौर पर उन लोगों के द्वारा यौनिक शोषण का आसान शिकार बन जाती है जो सामान्यतया उसकी मदद करने के लिए खुद आगे आते हैं।

> "मुझे झूलना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे पास के पार्क में ले जाती थी। जब मैं बड़ी होने लगी तो मुझे मेरी पहियों वाली कुर्सी से उठाकर झूले तक ले जाने के लिए हम आसपास के आदमियों से मदद लेने लगे, क्योंकि मेरी माँ और अन्य महिलाओं के लिए वह मुश्किल हो गया था। लेकिन धीरे–धीरे मुझे मदद करने के लिए आगे आने वाले कुछ आदमियों के गलत ढंग से छूने का एहसास होने लगा। मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकती थी क्योंकि वे एहसान कर रहे थे। इसलिए मैंने अब आगे न झूलने का फैसला कर लिया, हालाँकि मुझे अभी भी वह बहुत अच्छा लगता है।"
>
> -सेरीब्रल पाल्सी से पीड़ित एक 14 साल की लड़की

परिवार से जुड़े प्रभाव

परिवार में व्याप्त भावनाएँ, जो परिस्थिति को नकारने से लेकर, आत्म–दया तक तथा नीमहकीमों से लेकर चमत्कारों पर विश्वास करने तक की हो सकती हैं, आमतौर पर विशेष बच्चे से जुड़ी वास्तविकताओं को स्वीकार करने में लम्बा समय लेती हैं। परिवारों में अकसर ऐसे बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक जानकारी और कौशलों तथा उनके भविष्य के सम्बन्ध में आवश्यक दूरदृष्टि का अभाव रहता है। इसके फलस्वरूप या तो अक्षमता ग्रस्त बच्चे की जरूरत से ज्यादा सुरक्षा की जाती है, या उसे स्वीकार करने के प्रति नकारात्मकता की प्रवृत्ति पैदा होती है, और ये दोनों ही समान रूप से हानिकारक हैं, क्योंकि इनसे बच्चे को उपयुक्त देखभाल और सहारा मिलने की सम्भावना कम हो जाती है। इस परिदृश्य को वित्तीय समस्याएँ और कठिन बना देती हैं, साथ ही परिवार, विशेष रूप से माताओं पर, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक बोझ बहुत बढ़ जाता है।

शिक्षा से सम्बन्धित प्रभाव

शिक्षा और गरीबी, दोनों एक–दूसरे से जुड़े हैं, और "अक्षमता को गरीबी का कारण और उसका प्रभाव, दोनों तरह से देखा जा सकता है, तथा अक्षमता ग्रस्त लोगों के लिए उपलब्ध दयनीय शैक्षिक अवसरों का इस पारस्परिक सम्बन्ध को बनाए रखने में प्रमुख योगदान होता है।" (गुडलैड, 2005)

भारत के अधिकांश स्कूलों, चाहे वे शहरी हों या ग्रामीण, में संसाधनों (जिनमें ऐसे बच्चों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए योग्य प्रशिक्षित शिक्षक तथा बुनियादी भौतिक सुविधाएँ शामिल रहती हैं) का अभाव रहता है, जिसका परिणाम शिक्षा की निम्नस्तरीय गुणवत्ता तथा बच्चों के बीच में स्कूल छोड़ देने की ऊँची दर होती है।

अक्षमता ग्रस्त बच्चों को शिक्षित करने का प्रचलित उद्देश्य उनको ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश से तालमेल बिठाने के लिए तैयार करना होता है जो वास्तव में सामान्य लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए निर्मित किया जाता है। (शर्मा 2002, पृ. 407)

उच्च शिक्षा में अक्षमता ग्रस्त युवाओं के नामांकन का, उनके लिए 3% आरक्षण के बाद भी, बहुत कम होना अभी तक जारी है, क्योंकि उन पर सामान्य पृष्ठभूमियों से आए विद्यार्थियों से स्पर्धा करने का दबाव होता है। उनकी विशेष स्कूल की पृष्ठभूमि की तुलना में सामान्य विद्यार्थी बेहतर स्थिति में होते हैं, इसलिए ऐसी स्पर्धा का परिणाम ऐसे बच्चों में हीन भावना पैदा करना और सामंजस्य की समस्याएँ हो सकती हैं। शैक्षिक संस्था से दूरी, अक्षमता ग्रस्त लोगों के अनुकूल सुगम परिवहन और अधोसंरचना सुविधाओं का न होना और साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रमों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने की उनकी शारीरिक/मानसिक सीमाएँ आदि ये इसे और दुष्कर बना देते हैं।

समुदाय/समाज से जुड़े प्रभाव

अक्षमता का सामाजिक प्रतिरूप (ऑलिवर, 1990) इस दृष्टिकोण को निरूपित करता है कि यह जरूरी नहीं है कि कोई कमी या दुर्बलता व्यक्ति को अक्षम बना दे। कुछ कमियाँ निस्सन्देह किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं, उदाहरण के लिए, कोई आँखों की खराबी, कोई लगातार बिगड़ती हुई दशा, सीखने की कठिनाई या कोई मानसिक स्वास्थ्य की कठिनाई उनसे ग्रस्त लोगों के लिए तब व्यवहारिक और आर्थिक समस्याएँ खड़ी कर सकते हैं जब वे सामाजिक अनुभव के सभी पहलुओं में पूरी तरह भाग लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। परन्तु, फिर भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और

भौतिक वातावरण के पहलू यह तय करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं कि किसी कमी के परिणामस्वरूप व्यक्ति किस हद तक सामाजिक रूप से बाहर हो जाता है।

मनोवैज्ञानिक सामाजिक प्रभाव

अक्षमता ग्रस्त बच्चों की आत्म–छवि आमतौर पर हीनता भरी होती है, जिसका मुख्य कारण उनका अक्षम होना होता है। अपने हमउम्र साथियों के समकक्ष प्रदर्शन न कर पाना, सामाजिक रूप से कटा होना, अलग तरह का वह व्यवहार जो परिवार और समाज उनके साथ करता है, अकेला होने का भाव, उत्साह, प्रेरणा तथा अभीप्सा की कमी आदि, वे अन्य प्रमुख कारक हैं जो अशक्तता की इस हालत को और बढ़ाने में योगदान देते हैं। उनकी अक्षमता उन्हें उन अवसरों से दूर रखती हैं जो उनके हमउम्र साथियों को आसानी से उपलब्ध रहते हैं।

जीविका सम्बन्धी प्रभाव

यह अपेक्षाकृत एक उपेक्षित क्षेत्र है, आमतौर पर जिसका कारण अक्षमता ग्रस्त लोगों के प्रति दया तथा दान के रवैए का हावी रहना होता है। उनकी अन्तर्निहित क्षमता और योग्यता की कमी का मूल्यांकन करने के लिए स्वयं उनमें पर्याप्त चेतना और कौशलों का अभाव तो रहता ही है, इसके साथ ही समाज भी, उनकी कुछ करने में सहायता करने या उन्हें अपने काम खुद करने देने के बजाय, उनके प्रति सहानुभूति और उनके "लिए" कुछ करने की इच्छा का एक कवच जैसा बना लेता है।

इस आयाम में शोध अध्ययनों का न होना तथा अक्षमता ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की व्यवस्थित योजना का अभाव इस समस्या को और गम्भीर बना देता है। सरकार की ओर से प्रोत्साहन के रूप में कुछ लाभ दिए जाने के वायदों के बाद भी, रोजगार देने वाले लोग अक्षमता ग्रस्त लोगों का समावेश करने के इच्छुक नहीं होते। श्रमशक्ति का बाजार, जो सबसे योग्य के बचे रहने के सिद्धान्त पर काम कर रहा है, "अयोग्य लोगों" की उपेक्षा करता है। अनेक रोजगार देने वाले इन लोगों के समावेश की जरूरत से सहमत होते हैं, लेकिन उनमें इस राय को अमल में लाने के बारे में बचने के बहाने ढूँढ़ने की प्रवृत्ति होती है। दूसरी ओर अक्षमता ग्रस्त लोगों से सस्ता श्रम प्राप्त करने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है।

रोजगार देने वालों की अपेक्षाओं और ऐसे विशेष कर्मचारियों के कौशलों तथा क्षमताओं के बीच की खाई को समझने और पाटने के बारे में अधिक ध्यान नहीं दिया गया है।

समावेश को कैसे सम्भव बनाया जा सकता है

विकासशील देशों में इस क्षेत्र में किए जाने वाले सुधार प्रयास इस मान्यता के आधार पर निर्मित किए जाते हैं कि अक्षमता ग्रस्त लोगों की जरूरतों के प्रति प्राथमिक उत्तरदायित्व उन्हें लम्बे समय तक कल्याणकारी सहायता देना होना चाहिए (लैंग एवं उपाह, 2008)। यह खुद इस धारणा से निकला है कि अक्षमता ग्रस्त व्यक्ति उत्पादक नहीं हो सकते और उनकी देखभाल की जाने की जरूरत रहती है। पर, सामाजिक प्रतिरूप, जो अक्षमता को समाज के एक अविभाज्य और सामान्य अंग की तरह मानता है, को अभी तक व्यापक हो सकने लायक समर्थन नहीं मिल पाया है और वह आबादी के बहुसंख्यक हिस्से तक नहीं पहुँचा है। किसी भी सामाजिक परिवर्तन को लाने में लोगों के दृष्टिकोण, विश्वास और आचरण की आदतें प्रमुख भूमिका निभाती हैं और यह बात अक्षमता के बारे में भी सत्य है। इसलिए, लोगों के दृष्टिकोणों, विश्वासों, आचरणों और पूर्वाग्रहों को समझना और उन्हें उचित ढंग से सम्बोधित करके उनका समाधान निकालना –इसे समावेश की प्रक्रिया का पहला कदम बनाना जरूरी है।

आत्म–बहिष्कार तथा लिंगभेद की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे व्यक्तियों की हीन आत्म–छवि को सुधारने की गतिविधियाँ और उनके साथ उनके अधिकारों की चेतना को निर्मित करना तथा "सामान्य" नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना, यही इस समय की तात्कालिक आवश्यकता है।

अक्षमता ग्रस्त बच्चों के माता–पिता तथा परिवार समावेश को सम्भव बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन उनके पास इसके लिए आवश्यक जानकारी, कौशल और समय का अभाव रहता है। हालाँकि कुछ गैर–सरकारी स्वैच्छिक संगठनों ने पालकों को उनके आश्रितों के समावेश के लिए कार्य करने के काबिल बनाने के लिए उनकी योग्यता निर्मित करने के कार्यक्रम आरम्भ किए हैं, पर इन स्वैच्छिक संगठनों की बाहरी आर्थिक सहायता पर निर्भरता को देखते हुए इन कार्यक्रमों के लम्बे समय तक चल सकने की कोई गारण्टी नहीं है। इसके समाधान के तौर पर सिफारिश की जा सकती है कि स्थानीय शासन के निकायों को इन मुद्दों को अपनी नियमित कार्यसूची में शामिल करना चाहिए।

ये कुछ अन्य क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है: अक्षमता अधिनियम (डिसएबिलिटी एक्ट) को तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में सूचीबद्ध कार्यक्रमों को कारगर तरीके से लागू किया जाना, उचित रोजगार योजना, अक्षमता ग्रस्त व्यक्तियों के कौशलों और रोजगार के बाजार के बीच की खाई को पाटना, और सम्भावित रोजगार देने वालों को ऐसे व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना।

चुनौतियाँ

पहुँच, अधोसंरचना या बुनियादी सुविधाएँ तथा अक्षमता ग्रस्त लोगों का सहज स्वीकार किया जाना, ये ही समावेश की राह में प्रमुख अड़चनें हैं। उचित शोध का अभाव भी इसमें योगदान देता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले अनेक संगठनों में अक्षमता के मुद्दे के बारे में सर्वांगीण दृष्टिकोण की कमी रहती है। उनकी गतिविधियाँ ज्यादा करके अपने हितग्राहियों को अर्ध–कौशलों वाले कामों जैसे मोबाइल या आटोमोबाइल मैकेनिक, होटलों को सामान की आपूर्ति करने वाले, टेलीफोन/लिफ्ट संचालित करने वाले आदि के लिए तैयार करने तक सीमित रहती हैं। स्कूलों में उत्साही, प्रशिक्षित और कौशलों में निपुण शिक्षकों का अभाव तथा कार्यस्थलों पर संवेदनशील रोजगार देने वालों और साथी कामगारों का अभाव इस कार्य की अन्य चुनौतियाँ हैं।

References

1. An Eco systematic approach for understanding inclusive education- An Indian Case study, Nidhi Singal, European Journal of Psychology of Education, Vol. 21, No. 3 (September 2006), pp. 239-252
2. New Labour, Social Justice and Disabled students in Higher Education, British Educational Research Journal, Vol. 31, No. 5, Sheela Diddell, Teresa Tinklin and Alasta Wilson. Education Policy and Social Justice (Oct., 2005), pp. 623-643
3. Inclusive Education Environments from the Teachers' Perspective: An Inquiry in a Turkish Primary School
   Selen Durak, Mualla Erkiliç, Children, Youth and Environments, Vol. 22, No. 1 (Spring 2012), pp. 304-313
4. Towards socio-spatial inclusion? Disabled people, neoliberalism and the contemporary labour market Robert Wilton and Stephanie Schuer School of Geography and Earth Sciences, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada L8S 4M1

रेमादेवी टी. सोशल वर्क में पोस्ट–ग्रेजुएट हैं। वर्तमान में वे अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एम.ए.(विकास) कार्यक्रम में क्षेत्र प्रशिक्षण तथा प्रायोगिक परियोजनाओं का संयोजन कर रही हैं। इस कार्य से पहले उन्होंने अक्षमता ग्रस्त लोगों तथा विशेष जरूरतों वाले बच्चों से जुड़े कुछ संगठनों के साथ कार्य किया था। इसके अलावा, उन्होंने विभिन्न राज्यों में अलग–अलग नागरिक समाज संगठनों के साथ भी काम किया है। उनसे remadevi.t@azimpremjifoundation.org पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद** : सत्येन्द्र त्रिपाठी